महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/ Phone: 0151-2212044 फैक्स/ Fax: 2212042 ई-मेल/ E-mail: mgsubikaner@gmail.com

प.07( )मंगसिविबी/विद्या परिषद–13/2014/ दिनांक

विद्या परिषद की 13वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की विद्या परिषद की 13 वीं बैठक दिनांक 17-06-2014 को प्रात: 11:00 बजे कुलपति सचिवालय के मीटिंग हॉल में माननीय कुलपति प्रो. चन्द्रकला पाडिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. चन्द्रकला पाडिया	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. विमलेन्दु तायल	–	अधिष्ठाता, विधि संकाय
3.	डॉ. कृष्ण राठौड़ (तोमर)	–	अधिष्ठाता, कला संकाय
4.	प्रो. एम.एम. सक्सेना	–	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय
5.	डॉ. आई.आर. जांगिड	–	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय
6.	डॉ. सुरेन्द्र सहारण	–	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
7.	प्रो. एस.के. अग्रवाल	–	सदस्य
8.	डॉ. आशा गोस्वामी	–	सदस्य
9.	डॉ.बी.बी.एस. कपूर	–	सदस्य
10.	डॉ. एच.के. पाण्डे	–	सदस्य
11.	श्रीमती ज्योति लखाणी	–	सदस्य
12.	डॉ. सतीश कौशिक	–	सदस्य
13.	डॉ. गौतम कुमार मेघवंशी	–	सदस्य
14.	डॉ. रविन्द्र मंगल	–	सदस्य
15.	डॉ. मीरा श्रीवास्तव	–	सदस्य
16.	डॉ. उमाकान्त गुप्त	–	सदस्य
17.	डॉ. यशोदा चौहान	–	सदस्य
18.	डॉ. कमलेश खत्री	–	सदस्य
19.	डॉ. बजरंग सिंह राठौड	–	सदस्य
20.	डॉ. नारायण सिंह राव	–	सदस्य
21.	डॉ. बेला भनोत	–	सदस्य
22.	डॉ. एन.आर.कस्वा	–	सदस्य
23.	डॉ. एन.के. व्यास	–	सदस्य
24.	डॉ. देवीशंकर	–	सदस्य
25.	डॉ. आर.डी. सिंह	–	सदस्य
26.	डॉ. जगदीश प्रसाद शर्मा	–	सदस्य

27.	डॉ. अनिल कौशिक	-	सदस्य
28.	डॉ. परषोत्तम स्वामी	-	सदस्य
29.	डॉ. सत्यनारायण शर्मा	-	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
30.	डॉ. भुवनेश गुप्ता	-	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
31.	डॉ. दिग्विजय सिंह	-	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
32.	डॉ. मोईनुदीन	-	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
33.	श्री विश्राम मीणा	-	सदस्य सचिव

बैठक में विद्या परिषद के पूर्व सदस्य डॉ. के.के. शर्मा, हनुमानगढ एवं शोधार्थी श्री हेमन्त पाण्डे की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो जाने के कारण सभी सदस्यों द्वारा दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना कर दो मिनिट का मौन रखा गया। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। विशेषकर विद्या परिषद में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नव-मनोनीत माननीय सदस्य डॉ. एस.एन. शर्मा, प्राचार्य, राजकीय शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर, डॉ. भुवनेश गुप्ता, प्राचार्य, सूरतगढ पी.जी. महाविद्यालय, सूरतगढ, डॉ. दिग्विजय सिंह, सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, बीकानेर, डॉ. मोईनुदीन, व्याख्याता, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, नव-मनोनीत अधिष्ठाता डॉ. आई.आर. जांगिड, विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों के नव-मनोनीत समन्वयक डॉ. आशा गोस्वामी, डॉ. बी.बी.एस. कपूर, डॉ. एच.के. पाण्डे, श्रीमती ज्योति लखाणी, डॉ. सतीश कौशिक, डॉ. रंजन सक्सेना, डॉ. गौतम मेघवंशी, डॉ. वी.एन. सिंह, डॉ. रविन्द्र मंगल, प्रो. एम.एम. सक्सेना, प्रो. एस.के. अग्रवाल, डॉ. मीरा श्रीवास्तव, डॉ. उमाकान्त गुप्त, डॉ. यशोदा चौहान, डॉ. प्रकाश अमरावत, डॉ. सुमित्रा चारण, डॉ. इन्द्रसिंह राजपुरोहित, डॉ. कमलेश खत्री, डॉ. कौशल पारीक, डॉ. बजरंग सिंह राठौड़, डॉ. नारायण सिंह राव, डॉ. बेला भनोत, डॉ. एन.आर. कंस्वा, डॉ. एन.के. व्यास, डॉ. गार्गी राय चौधरी, डॉ. स्वर्णलता सिंह, डॉ. देवीशंकर, डॉ. आर.डी. सिंह, डॉ. विजय सिंह, डॉ. जगदीश प्रसाद शर्मा, डॉ.अनिल कौशिक, डॉ. परषोत्तम स्वामी, डॉ रिषभ जैन, का हार्दिक स्वागत किया गया। विद्या परिषद के निवर्तमान माननीय सदस्यों प्रो. एस. के. भनोत, डॉ. आर.के. रंगा डॉ. अनुपमा चौधरी, डॉ. रमा गुप्ता, डॉ. जी.पी. सिंह, डॉ. मधु अग्रवाल, डॉ. एम. ए. खान, डॉ. मोहम्मद हुसैन, डॉ. आशा रानी, डॉ. आर.के. सक्सेना, डॉ. अरूणा भारद्वाज, डॉ. अहमद अली, डॉ. पारूल सिंघल, श्री हुकुम चंद ओझा, डॉ. आर.सी. सुथार, दिवंगत डॉ. के. के. शर्मा, हनुमानगढ, डॉ. के.के. शर्मा, बीकानेर डॉ. विजेन्द्र गौतम द्वारा विद्या परिषद में दिये गए सहयोग की सराहना की गई

माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही बिन्दुवार प्रारम्भ हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/01

विद्या परिषद की 12 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 12 वीं बैठक दिनांक 30-04-2013 का कार्यवाही विवरण विद्या परिषद के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : कार्यवाही विवरण

निर्णय :- विद्या परिषद की 12 वीं बैठक दिनांक 30.04.2013 के कार्यवाही विवरण का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/02

विद्या परिषद की 12 वीं बैठक दिनांक 30-04-2013 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विद्या परिषद की 12 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - पालना प्रतिवेदन

निर्णय :- विद्या परिषद की 12 वीं बैठक दिनांक 30-04-2013 के निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन के दौरान निम्नानुसार बिन्दुवार विस्तृत विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गए:-

(1) पी.जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण छात्रों को एम.एससी. उत्तरार्द्ध कम्प्यूटर विज्ञान विषय में प्रवेश देने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट पर विद्या परिषद द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर की वर्तमान तर्ज पर ही पी.जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण छात्रों को एम.एससी. कम्प्यूटर विज्ञान विषय (लेटरल एन्ट्री)में प्रवेश नही देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(2) विधि स्नातकोत्तर में एक वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट पर विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में एक वर्षीय एल एल.एम. पाठ्यक्रम लागू होने पर ही विश्वविद्यालय स्तर पर लागू करने पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

(3) स्नातक स्तर विज्ञान संकाय में स्वयंपाठी छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट/ अनुशंसा पर विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त विज्ञान संकाय में छात्रों को स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नही करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अन्य संकायो जिनमें प्रायोगिक विषयों में स्वयंपाठी छात्रों के परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की हुई है, के विषय में समीक्षा करने हेतु प्रो. एस.के. अग्रवाल के संयोजन एवं डॉ. एन.आर.कंस्वा की सदस्यता में समिति के गठन करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(4) एम.एससी. कम्प्यूटर विज्ञान में प्रवेश हेतु योग्यता के निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 16-12-2013 में लिये गए निर्णय के संबंध में विद्या परिषद द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में संबंधित योग्यता का अध्ययन कर उक्त प्रकरण पर पुन: समीक्षा करने हेतु एक समिति के गठन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिसके निम्नलिखित सदस्य है :-

(1) डॉ. रविन्द्र मंगल - संयोजक एवं समन्वयक, भौतिक विज्ञान
(2) श्रीमती ज्योति लखाणी - विभागाध्यक्ष एवं समन्वयक, कम्प्यूटर विज्ञान
(3) डॉ. भुवनेश गुप्ता - प्राचार्य, सूरतगढ महाविद्यालय, सूरतगढ

(5) विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति को अंगीकार करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य डॉ. भुवनेश गुप्ता ने सुझाव दिया कि इस शैक्षणिक सत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति को अंगीकार करने के उपरान्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय को सूचित

किया जाना चाहिए। उक्त सुझाव पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई। साथ ही समय-समय पर किये गये संशोधनों से भी महाविद्यालयों को अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

(6) मेरिट लिस्ट के निर्धारण के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रावधानों के अनुसार मैरिट निर्धारित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

शेष बिन्दुओं की पालना रिपोर्ट का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

मगंसिविबी/विद्या परिषद–13/2014/03

अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 9 (क) (VII) के प्रावधान अनुसार डॉ. ईश्वर राम जांगिड को विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F 07 (460)/MGSU/ Acad./2012/19517-532 Dated 23-11-2013 के द्वारा दो वर्ष की अवधि या अन्य आदेश होने तक अधिष्ठाता नियुक्त किया गया। उक्त अधिष्ठाता की नियुक्ति विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न – कार्यालय आदेश

निर्णय :- विद्या परिषद द्वारा वाणिज्य संकाय के अधिष्ठाता के रूप में डॉ. ईश्वर राम जांगिड के मनोनयन आदेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/04

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम मण्डलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2014–15 हेतु तैयार किये गये पाठ्यक्रमों के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अध्ययन मण्डलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2014–15 हेतु तैयार किये गये निम्नांकित पाठ्यक्रम विद्या परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि समस्त पाठ्यक्रमों में परीक्षा स्कीम में समानता होनी चाहिए जो पूर्व में प्रचलित थी। विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त सत्र 2014–15 हेतु निम्नानुसार अध्ययन मण्डलों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया :-

क्र.स.	पाठ्यक्रम	निर्णय
1	पंजाबी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बिन्दु संख्या 03 एवं 04 के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए शेष पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही पाठ्यक्रम पंजाबी भाषा में प्रिन्ट करवाने के प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा पाठ्यक्रम की साफ्ट प्रति पंजाबी भाषा में उपलब्ध करवाने हेतु समन्वयक को निर्देशित किया गया।
2	राजस्थानी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

3	विधि	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4	दर्शनशास्त्र	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5	चित्रकला	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के यूनिट द्वितीय में 'धर्म' शब्द समावेश के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि ऐसे किसी भी बिन्दु का समावेश नहीं हो जिससे किसी की भी धार्मिक भावना आहत हो
6	सैन्य विज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बिन्दु संख्या 02 (प्रयोगात्मक परिवर्तन) के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए शेष पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
7	भू-गर्भ विज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बिन्दु संख्या 02 (Six Papers in year) के प्रस्ताव में अधिक कार्य भार को नजर रखते हुए अस्वीकार करते हुए शेष पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8	उर्दू	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
9	ए.बी.एस.टी.	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
10	व्यवसायिक प्रशासन	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बिन्दु Vocational paper से कोई पेपर लेने पर Core paper में से एक छोडने का प्रावधान Scheme of Exam में शामिल करने, अनिवार्य विषय के मार्क डिविजन में जोडने एवं Disseration 200 मार्क्स करने) के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए शेष पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
11	ई.ए.एफ.एम.	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही विद्या परिषद द्वारा 'कौटिल्य' को भी पाठ्यक्रम में रखने का निर्णय लिया गया।
12	शिक्षा	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
13	शारीरिक शिक्षा	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को अतिरिक्त पेपर के रूप में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए योग शिक्षा को वर्तमान में चल रहे प्रश्न पत्रों में ही सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया । साथ ही स्नातक कला संकाय में वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के Paper को सम्मिलित करने के सुझाव को भी अस्वीकार करते हुए पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।
14	वनस्पति शास्त्र	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही विज्ञान संकाय के स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की एक प्रायोगिक परीक्षा को दो प्रायोगिक परीक्षाओं में विभाजित करना स्वीकार किया गया किन्तु साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंक अपरिवर्तित रहेगे।
15.	अंग्रेजी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही अध्ययन मण्डल विश्वविद्यालय विभाग में सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम सत्र 2015–16 लागू करने

		के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय विभाग में सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम सत्र 2014–15 से प्रारम्भ करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
16.	राजनीति विज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
17.	जैव प्रौद्योगिकी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
18.	रसायशास्त्र	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
19	इतिहास	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय विभाग में सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम सत्र 2014–15 से प्रारम्भ करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
20.	भौतिकशास्त्र	Nano Techonology बिन्दु के अतिरिक्त अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
21.	गृह विज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बिन्दु 02 (Marking Scheme of Paper –II of B.A. Part-II is Slightly changed के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए शेष पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। Food & Nutration पाठ्यक्रम का भी अनुमोदन किया गया। साथ ही गृह विज्ञान एवं फूंड एण्ड न्यूटरेशन विषय के पृथक–पृथक अध्ययन मण्डल गठन करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
22.	जन्तुशास्त्र	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
23.	अर्थशास्त्र	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विद्या परिषद द्वारा भारतीय अर्थशास्त्र के विचारकों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु सुझाव दिया गया जिस पर समन्वयक ने शीघ्र ही अध्ययन मण्डल की बैठक बुलाकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
24.	गणित	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बिन्दु (ii) (M.A. /M.Sc. (Final) opt. paper x (Computer Application के Theory-60 Marks & Practical-40 Marks के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए सत्र 2013–14 में प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए सत्र 2014–15 से लागू करने का निर्णय लिया गया।
25.	कम्प्यूटर विज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय विभाग में सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम सत्र 2014–15 से प्रारम्भ करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदया ने निर्देश प्रदान किये कि सेमेस्टर प्रणाली एवं वार्षिक प्रणाली के पठ्यक्रम की विषयवस्तु में समानता होनी चाहिए।
26.	सूक्ष्म जैविकी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय विभाग में सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम सत्र 2014–15 से प्रारम्भ करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

27.	हिन्दी	अध्यक्ष मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में पुस्तक लेखकों के नाम एवं एम.ए. (उत्तरार्द्ध) में श्री ओमप्रकाश वाल्मिकी की कहानी 'शवयात्रा' को अस्वीकार करते हुए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया।
28.	जी.पी.ई.एम.	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम को अस्वीकार करते हुए सत्र 2013–14 में लागू पाठ्यक्रम को ही सत्र 2014–15 में लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
29.	लोक प्रशासन	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
30.	जेवीजेवी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
31.	समाजशास्त्र	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
32.	भारतीय संगीत	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
33.	संस्कृत	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
34.	पर्यावरण विज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय विभाग में सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम सत्र 2014–15 से प्रारम्भ करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
35.	भूगोल	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
36.	मनोविज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के दौरान की गई चर्चा में यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त पाठ्यक्रमों के अंतिम प्रकाशन से पूर्व संयोजकों की बैठक आयोजित कर पाठ्यक्रमों के प्रकाशित प्रारूप की जांच कराई जाए ताकि पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार की अशुद्धि न रह जाए।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/05

विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति-2014-15 को अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सत्र 2014-15 विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जिन कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम बने हुए है उन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के नियमों तथा अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2014-15 को अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - प्रवेश नीति-2014-15

निर्णय :- विश्वविद्यालय द्वारा जिन कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम बने हुए है उन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के नियमों तथा अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2014-15 के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु राज्य

सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति को अंगीकार करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय की सूचना एवं समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को सूचित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/06

शैक्षणिक सत्र 2013-14 में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा नवीन सम्बद्धता प्रदान किये गये महाविद्यालयों के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

शैक्षणिक सत्र 2013-14 में नवीन महाविद्यालयों प्रारंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी नवीन सम्बद्धता हेतु प्रत्येक महाविद्यालय का निरीक्षण करवाकर एवं विश्वविद्यालय कमेटी की अनुशंसा के आधार पर नवीन सम्बद्धता प्रदान की गयी। सत्र 2013-14 में प्रदत्त अस्थायी नवीन सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची विद्या परिषद के समक्ष पुष्टि एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

S.No.	महाविद्यालय का नाम	जिला	सम्बद्धता प्रदत्त विषय/संकाय
1	Parnyaraj Degree College, Bajju	बीकानेर	बी.ए.
2	Shri Balaji Mahavidhyalya, Sadhasar	बीकानेर	बी.ए.
3	Govt. College, Loonkaransar	बीकानेर	बी.ए.
4	S.K.D. Higher Education, 7STG Hanumangarh	हनुमानगढ़	बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., बीसीए
5	Gyan Dan Education Kanya Mahavidhyalya	हनुमानगढ़	बी.ए., बी.कॉम.
6	Mata Kitab Kaur Mahavidhyalya, 14 SSW	हनुमानगढ़	बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम.
7	Shri Ram Kanya Mahavidhyalya, Jakhadawali	हनुमानगढ़	बी.ए.
8	Ch. Chunni Ram Godara Kanya College, Birkali	हनुमानगढ़	बी.ए.
9	Choudhary College, Gogamedi	हनुमानगढ़	बी.ए., बी.एससी.
10	S.P.N. Higher Education College, Goluwala	हनुमानगढ़	बी.ए., बी.एससी.
11	Global Mahavidhyalaya, Rawatsar	हनुमानगढ़	बी.ए.
12	Bhagat Singh Vidhi Mahavidhyalya	श्रीगंगानगर	एलएल.बी.
13	Sadul Shahar Degree College, Sadul Shahar	श्रीगंगानगर	बी.ए.
14	Ch. Chanan Ram Memorial College, Srikaranpur	श्रीगंगानगर	बी.ए.
15	Shri Shyam Degree College, Mokalsar	श्रीगंगानगर	बी.ए.
16	Prince College, Sahwa	चूरू	बी.ए.
17	New Hind Girls Degree College, Sidhmukh	चूरू	बी.ए.
18	Prerna Girls College, Sahwa, Teh. Taranagar	चूरू	बी.ए.

निर्णय :- उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान माननीय सदस्य प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने सदन को अवगत कराया कि मेरे द्वारा राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर के निरीक्षण उपरान्त सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा नही करने पर भी विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की गई है, जो नियमों के विरूद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि राज्य सरकार के अनुरोध एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए एवं इस महाविद्यालय के राजकीय महाविद्यालय होने के नाते राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर को अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई थी। माननीय सदस्य डॉ. दिग्विजय सिंह द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि Parnyaraj Degree College, Bajju में आधारभूत सुविधा उपलब्ध नही होने पर भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गई है। अध्यक्ष महोदया ने इस सम्बन्ध में जांच करने का आश्वासन दिया।

विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में ~~प्रेषित~~ प्राप्त करने पर ही महाविद्यालयों की सम्बद्धता अभिवृद्धि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जावे।साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2013-14 में 18 महाविद्यालयों को प्रदत्त अस्थायी नवीन सम्बद्धता का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/07

परीक्षा शुल्क में अभिवृद्धि के संबंध में प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क का निर्धारण दिनांक 03-07-2010 को आयोजित विद्या परिषद की आठवीं बैठक में सत्र 2010-11 हेतु किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा विगत वर्षों में परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन न करने के कारण सत्र 2013-14 की मुख्य परीक्षा शुल्क भी पूर्व की भांति लेने हेतु निर्देश जारी किये गए। वर्तमान परीक्षा शुल्क राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों यथा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर; राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर; आदि की तुलना में बहुत कम है। विश्वविद्यालय में सत्र 2011-12 प्रारंभ किये गये संकायों हेतु शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के फलस्वरूप इन पर होने वाले व्यय का वहन भी विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। अन्य रिक्त पदों के विरूद्ध दी गई नियुक्तियों के फलस्वरूप भी विश्वविद्यालय के संस्थागत व्यय में भी अत्यधिक वृद्धि हो गयी। इसके अतिरिक्त छात्र नामांकन में वृद्धि होने से परीक्षा संचालन में होने वाले व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि होने से विश्वविद्यालय के संरचनात्मक व शैक्षणिक विकास हेतु विश्वविद्यालय के राजस्व में निरन्तर वृद्धि आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम पदार्थो की निरन्तर मूल्य वृद्धि होने से परीक्षा कार्य हेतु विश्वविद्यालय को अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ रहा है। अत: उपर्युक्त परिस्थितियों में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2010-11 में निर्धारित परीक्षा शुल्क में अभिवृद्धि किया जाना आवश्यक है। अत: महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का तुलनात्मक विवरण संलग्न प्रस्तुत कर सत्र 2014-15 हेतु परीक्षा शुल्क में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- विद्या परिषद द्वारा राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं इस विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क के तुलनात्मक विवरण का अध्ययन कर इस विश्वविद्यालय की समस्त कक्षाओं के पूर्व में निर्धारित परीक्षा शुल्क में 100 रू की वृद्धि करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए परीक्षा वर्ष 2015 के परीक्षा शुल्क का निर्धारण किया गया।

विद्या परिषद द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्यों, विद्या परिषद सदस्यों एवं अध्ययन मण्डल बैठकों में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को देय टैक्सी किराया दरों का पुनर्निधारण करने एवं सीटिंग चार्ज का निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष एजेण्डा रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/08

स्नातकोत्तर कक्षाओं में अतिरिक्त सीटो की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव

राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2013-14 जिसका विद्यार्थी परिषद की 12 वीं बैठक को विनिर्णय संख्या 11 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2013-14 को विश्वविद्यालय के द्वारा अंगीकार करते हुए सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों से इसके अनुरूप कार्य व्यवहार करने की अपेक्षा की गयी है। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम बने हुए है उन कक्षाओं में प्रवेश के लिये विश्वविद्यालय के नियम लागू होगे अन्य के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2013-14 को अंगीकृत किया जायेगा। (प्रति संलग्न)

राज्य सरकार द्वारा प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 1.2 (4) में स्नातक कला एवं वाणिज्य के एक वर्ग में 80 छात्रों को एवं विज्ञान संकाय के एक वर्ग में 70 छात्रों को प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है। इसी अनुरूप प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 2.2 में स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य संकाय के एक वर्ग में 40 छात्रों एवं विज्ञान संकाय के वर्ग में प्रवेश निर्धारित स्थानो पर ही दिया जावेगा। (प्रति संलग्न) प्रावधान किया गया है।

सत्र 2013-14 में सेठ जी.एल. बिहाणी एस.डी. कॉलेज श्रीगंगानगर ने एम.काम. (एबीएसटी) में पूर्व में स्वीकृत 40 सीटों (एक वर्ग) के अतिरिक्त एक ओर वर्ग (40 सीटों) की वृद्धि करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति में कोई स्पष्ट निर्देश न होने तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम निर्मित न होने से महाविद्यालय को एम.काम. (एबीएसटी) में सीट अभिवृद्धि स्वीकृत नहीं की जा सकी।

महाविद्यालय ने इस संबंध में माननीय कुलपति महोदया को दिनांक 19.11.2013 को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व वर्षो में राज्य सरकार द्वारा प्रवेश नीति में वर्णित नियमो की ओर ध्यान न देते हुए अनेक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित सीटो की संख्या से अधिक सीटें स्वीकृत की जा चुकी है। अत: उक्तानुरूप महाविद्यालय को भी सीट अभिवृद्धि स्वीकृत की जावे। (प्रति सलंग्न)

अत: विद्या परिषद् की 12 वीं बैठक द्वारा प्रवेश नीति 2013-14 को अंगीकार करने के प्रस्ताव पर पारित निर्णय की प्रति प्रवेश नीति 2013-14 के बिन्दु संख्या 1.2 एवं 2.2 की प्रति एवं प्राचार्य सेठ जी.एल. बिहाणी एस.डी. पी.जी. कॉलेज श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 19.11.2013 की प्रति संलग्न प्रस्तुत कर प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय में 20 सीटे एवं वाणिज्य एवं कला संकाय में 40-40 सीटें आवंटित करने का प्रावधान है परन्तु पूर्व में कई महाविद्यालयों को उक्त प्रावधानों से अधिक सीटों का आवंटन किया गया है।

विद्या परिषद द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रावधानों के अतिरिक्त आवंटित सीटों की पुनः समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जिन महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय में 20 सीटे एवं वाणिज्य एवं कला संकाय में 40-40 अतिरिक्त सीटों की मांग की जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा नामित समिति के निरीक्षण उपरान्त उपलब्ध आधारभूत ढांचे के आधार पर अतिरिक्त सीटो के रूप में पूरे एक अलग सेक्शन की सीट अभिवृद्वि करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/09

बी.एस.सी. पार्ट तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षा में Scientific calculator के उपयोग की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव

राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर के बी.एससी. पार्ट तृतीय के विद्यार्थीगणों ने प्राचार्य के माध्यम से गणित विषय के पेपर III (NA) में प्रश्नों का हल करने के लिये Scientific calculator को परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। (प्रति संलग्न) प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए गणित विषय के प्रश्नों का हल करने के लिये Scientific calculator को परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/10

विश्वविद्यालय अधिष्ठाता/समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 16-12-2013 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं एवं समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 16-12-2013 को माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त दोनो बैठकों का कार्यवाही विवरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - अधिष्ठाता/समकक्षता समिति बैठक का कार्यवाही विवरण

निर्णय :- विद्या परिषद द्वारा समकक्षता समिति एवं अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 16-12-2013 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए अधिष्ठाताओं के कार्यवाही विवरण पर निम्नानुसार कार्यवाही करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया -

(1) विश्वविद्यालय परिसर में पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम एवं विश्वविद्यालय स्तर पर एक वर्षीय LL.M. पाठ्यक्रम खोलने के प्रस्ताव पर विस्तृत पहलुओं को अध्ययन कर रिपोर्ट/अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार एक समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया -

(1) डॉ. विमलेन्दु तायल - अधिष्ठाता, विधि संकाय

(2) डॉ. अनिल कौशिक - समन्वयक विधि एवं प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर

(3) श्री के.के. कोचर - प्राचार्य, विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय, बीकानेर।

(2) शारीरिक शिक्षा विभाग - विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में शारीरिक शिक्षा से संबंधित आधारभूत सुविधाओ का अभाव होने के कारण उक्त विभाग वर्तमान में नही खोलने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(3) अधिष्ठाता बैठक दिनांक 16-12-2013 के कार्यवाही विवरण में राजस्थानी विभाग नही खोलने के सम्बन्ध में लिये गए निर्णयों को अस्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में राजस्थानी विभाग खोलने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(4) विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभागों को खोलने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया -

(1) Hindi
(2) Political Science
(3) Sociology
(4) Economics
(5) Psychology
(6) Life Science
(7) Commerce
(8) Rajasthani
(9) Centre for women's Studies

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगांसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/11

शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि में शिथिलन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अध्यादेश O-124 के अनुसार शोधार्थी को शोध कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि में शोध ग्रंथ (Thesis) विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होता है। इस अवधि में उचित कारणों से कुलपति महोदय द्वारा एक वर्ष की अभिवृद्धि की जा सकती है।

कुछ शोधार्थियों ने अपने शोध निदेशकों के माध्यम से शोध ग्रंथ जमा कराने हेतु अनुरोध किया है जो निर्धारित अवधि (5+1 वर्ष) समाप्त हो जाने के कारण वर्तमान नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य नही है। तथापि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश O-130 (Hand Book Part-II, Vol.-1 Jaipur 1990) के अनुसार ऐसे अभ्यार्थियों के पुनः पंजीयन का प्रावधान है तथा पुनः पंजीयन की दो वर्ष की अवधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश O-130 की छायाप्रति संलग्न है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश O-130 के अनुसरण में उक्त शोधार्थियों को विशेष प्रकरण के रूप में पुनः पंजीयन करने के लिए नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- विद्या परिषद द्वारा शोधार्थियों को 5+1 वर्ष (06) की पंजीयन अवधि पूर्ण होने पर पुनः पंजीयन करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश O-130 के अनुसरण में शोध नियमों में संशोधन करने की अनुशंसा करते हुए प्रबन्ध मण्डल में भेजने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/12

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में यू.जी.सी. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (Bachelor of Vocation) को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

प्राचार्य, सूरतगढ पी.जी. महाविद्यालय, सूरतगढ द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक F.13-1/2012(Policy/VVEQF) dated 24-08-2012 की प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में (Bachelor of Vocation) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया है।

प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में यू.जी.सी. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (Bachelor of Vocation) को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श उपरान्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम निर्माण करने हेतु अध्ययन मण्डलों का गठन कर पाठ्यक्रम तैयार कराये जावे। साथ ही पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने से पूर्व पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार एक समिति के गठन करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया -

(1) प्रो. एम.एम. सक्सेना - अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय
(2) डॉ. रविन्द्र मंगल - व्याख्याता, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
(3) डॉ. भुवनेश गुप्ता - प्राचार्य, सूरतगढ महाविद्यालय, सूरतगढ
(4) श्रीमती ज्योति लखाणी - सहायक आचार्य, म.गं.सिं.विश्वविद्यालय, बीकानेर।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/13

सेंटर फॉर कैनेडियन स्टडीज की स्थापना हेतु प्रस्ताव

विश्वविद्यालय के आंग्ल भाषा विभाग द्वारा सेंटर फॉर कैनेडियन स्टडीज की स्थापना हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - प्रस्ताव

निर्णय :- विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर कैनेडियन स्टडीज की स्थापना हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया -

(1) डॉ. कृष्णा राठौड़ (तोमर) - अधिष्ठाता, कला संकाय
(2) प्रो. एस.के. अग्रवाल - विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, मगंसिवि, बीकानेर।
(3) डॉ. दिव्या जोशी - व्याख्याता, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/14

एम.फिल./पीएच.डी. योग्यताधारी आशार्थियों को व्याख्याता एवं समकक्ष पद हेतु योग्यताधारी मानने के संबंध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में व्याख्याता पद पर कार्यरत एम.फिल./पीएच.डी. डिग्रीधारक आशार्थियों द्वारा माननीय कुलपति महोदया को दिनांक 13.01.2014 को प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लेखित बिन्दुओं पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के सभी नियमों/प्रावधानों की व्याख्या कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक

1850 दि. 03.03.2014 के द्वारा समिति का गठन किया गया। उक्त आदेश की पालना में समिति द्वारा दिनांक 10.03.2014 को बैठक आयोजित कर रिपोर्ट विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की गयी। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक आचार्य की योग्यता से संबंधित नियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित किए गए संशोधनों को लागू करने एवं नेट/स्लेट योग्यताधारी व्याख्याता उपलब्ध न होने पर योग्यता के संबंध में छूट देने संबंधी प्रस्ताव विद्या परिषद की 10वीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विद्या परिषद द्वारा सत्र 2009-10 या पूर्व में नियुक्त शिक्षक जो पीएच.डी. /एम.फिल. डिग्रीधारक है तथा महाविद्यालय में निरन्तर कार्यरत रहे है लेकिन महाविद्यालय में उनकी किसी कारणवश स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसे शिक्षकों को भी सत्र 2011-12 एवं अगले एक सत्र तक योग्यताधारी शिक्षकों की श्रेणी में शामिल करने हेतु निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में विश्वविद्यालय के पत्रांक प.07(112)मगंसिविबी/शैक्ष./2012/8526-8841 दिनांक 13.08.2012 के द्वारा सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को उपरोक्तानुसार सूचना प्रेषित की गयी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - रिपोर्ट

निर्णय :- एम.फिल./पीएच.डी. डिग्रीधारक आशार्थियों को योग्यताधारी मानने के संबंध में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को विद्या परिषद द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल की 24वीं बैठक दिनांक 07-06-2014 के निर्णयानुसार शास्ति आरोपण के सभी प्रकरणों को बोम द्वारा गठित समिति को भेजने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/15

RTI Act 2005 के अन्तर्गत छात्रों द्वारा उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात् उत्तरपुस्तिका जांच के सम्बंध में छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के निराकरण हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अध्यादेश 157 एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नोटिफिकेसन दिनांक 25.5.2010 (इस विश्वविद्यालय में परीक्षा 2012 से लागू) के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रस्ताव--

01. वर्तमान में 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अन्तर्गत छात्रों को उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाती है। छात्र उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त उत्तरपुस्तिका की जांच के सम्बंध में निम्न प्रकार की शिकायतें प्रस्तुत कर रहे है :-
    a. किसी प्रश्न विशेष में अंक कम दिये गये है।
    b. स्वयं छात्र द्वारा अन्य परीक्षक से जॉच करवाए जाने पर प्रश्न संख्या ..... में .... के स्थान पर ..... अधिक नम्बर आने चाहिए थे ।
    c. उत्तरपुस्तिका की पुनः जॉच करवाकर परिणाम दुबारा जारी किये जावें।
02. परीक्षा 2012 से पूर्व पुनर्मूल्यांकन हेतु अध्यादेश 157 लागू था जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक अंक घटने या बढ़ने पर तृतीय परीक्षक से उत्तरपुस्तिका की जांच का प्रावधान था। (अध्यादेश की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है)।
03. वर्तमान में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 25 05.10 (इस विश्वविद्यालय में परीक्षा 2012 से लागू है) के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन करवाय जाता है। इसके अनुसार 25 प्रतिशत अंक घटने अथवा बढ़ने की स्थिति में पुनर्मूल्यांक

पश्चात् वास्तविक अंक देकर परिणाम जारी किया जाता है। 25 प्रतिशत से अधिक अंक घटने व बढ़ने की स्थिति में 25 प्रतिशत अंक जोड़ते एवं घटाते हुए शेष अंकों का आधा घटाया या बढ़ाया जाकर परिणाम जारी किया जाता है। उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् तृतीय परीक्षक से जॉच का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात् उक्त प्रश्नों सहित छात्रों से प्राप्त परिवेदनाओं के निराकरण के सम्बंध में विश्वविद्यालय के रेगुलेशन का पैरा 10 व 11 (प्रति संलग्न) उल्लेखनीय है। अतः एजेंडा आईटम विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- RTI Act 2005 के अन्तर्गत छात्रों द्वारा उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात् उत्तरपुस्तिका जांच के सम्बंध में छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के निराकरण हेतु विश्वविद्यालाय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के समबन्ध में सुझाव प्रस्तुत करने हेतु विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार एक समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया -

(1) डॉ. अनिल कौशिक - प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर।
(2) डॉ. एस.एन.शर्मा - प्राचार्य, राजकीय शहीद भगत सिंह विश्वविद्यालय, रायसिंहनगर
(3) डॉ. दिग्विजय सिंह - सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, बीकानेर।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/16

विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की स्थाई सम्बद्धता पर पुर्नविचार हेतु प्रस्ताव

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त अनेक महाविद्यालय को कई विषयों/संकाय में स्थायी सम्बद्धत प्राप्त है। इन महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता नियमानुसार सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति करने के पश्चात पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर एवं बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रदान की गयी। स्थायी सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति के पश्चात् स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने वाले महाविद्यालय को प्रति वर्ष सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय में जमा नहीं करवाना पड़ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष महाविद्यालयों को सम्बद्धता शर्तो की पालना करने हेतु निर्देशित किया जा रह है। वर्तमान में कुछ स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में स्थायी सम्बद्धता शर्तो की पालना नहीं ह रही है। इनमें मुख्य रूप से वो महाविद्यालय है जो पूर्व में राजकीय अनुदानित श्रेणी के महाविद्यलाल रहे है। इन महाविद्यालयों में स्थायी रूप से कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याताओं का समायोजन राजकीय सेवा हो गया है। जिसके कारण इन महाविद्यालयों में स्थायी रूप से प्राचार्य व व्याख्याता वर्तमान में कार्यर नहीं है, जो स्थायी सम्बद्धता शर्तो की मुख्य शर्त है। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शर्तो की पालना करने वाले महाविद्यालयों के विरूद्ध प्रबन्ध मण्डल के नियमानुसार शास्तियों का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में निर्धारित मात्रा में योग्यताधारी स्टाफ न होने, भूमि-भवन की उपलब्धत न होने एवं एण्डोमेण्ड फण्ड का निर्माण न करने पर शास्तियों का प्रावधान किया गया था । साथ ह जिन महाविद्यालयों पर दो बार शास्ति लगी है उन महाविद्यालयों की नियमानुसार सम्बद्धता समाप्ति व प्रावधान भी किया गया है। वर्तमान में पिछले काफी समय से प्राईवेट कॉलेज ऐसोसिएशन द्वारा सम समय पर ज्ञापन देकर इन शास्तियों का विरोध किया जा रहा है। साथ ही ऐसोसिएशन द्वा विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की मांग की

रही है। पिछले दिनों 7 जून 2014 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भी माननीय सदस्यों द्वारा इस प्रकार की स्थायी रूप से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों पर सम्बद्धता शर्तों की पालना न करने पर कार्यवाही करने की बात कही गयी थी। अतः विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय जिनके यहां स्थायी सम्बद्धता शर्तों की पालना नहीं की जा रही है उन महाविद्यालयों की स्थायी सम्बद्धता पर पुर्नविचार कर नियमानुसार स्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की स्थाई सम्बद्धता पर पुर्नविचार करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(विश्राम मीणा)
कुलसचिव